

आदेश

सरकारी कार्यों को सूचारु रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की उनके वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त ड्यूटी तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार से लगाई जाती है, जिसके लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा:-

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम व पद	जहां अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाती है
1	श्री प्रमोद, वन दरोगा स्पेशल ड्यूटी	अतिरिक्त प्रभारी रामनगर बीट
2	श्री रवि सेन, वन दरोगा स्पेशल ड्यूटी	अतिरिक्त प्रभारी सांजरवास बीट

दिनांक : 05.10.2026

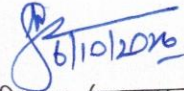
डॉ० के०सी० मीना, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्र०:-ई-2/1355-60

दिनांक:- 06.10.2026

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा-II, गुरुग्राम।
2. वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल, हिसार।
3. वन मण्डल अधिकारी, चरखी-दादरी को उनके पत्र क्रमांक 536-37 दिनांक 05.10.2026 के संदर्भ में।
4. निजी सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख हरियाणा, पंचकूला।
5. एम०आई०एस० शाखा, निदेशालय को आदेश विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सर्व सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वन मण्डल अधिकारी, चरखी-दादरी।



अधीक्षक (प्रशासन),

कृते०: प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।